पत्रांक – वि.प्रा.(III) यो.–21/2017–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक

विषय – केन्द्र सरकार की लोक–निज–साझा पद्धति (केन्द्र:राज्य:इंडस्ट्री पार्टनर=50:35:15) के आधार पर राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भागलपुर की स्थापना हेतु स्वीकृत राशि रू॰ 44.80 करोड़ (चौवालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेष राशि रू॰ 40.00 करोड़ (चालीस करोड़ रूपये) मात्र, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सोसायटी भागलपुर को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2530, दिनांक 16.10.2017 के द्वारा केन्द्र सरकार की लोक–निज–साझा पद्धति (केन्द्र:राज्य:इंडस्ट्री पार्टनर= 50:35:15) के आधार पर राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भागलपुर की स्थापना हेतु अनुमानित कुल पूँजीगत लागत रू॰ 128.00 करोड़ (एक सौ अठाईस करोड़ रूपये) मात्र का 35 प्रतिशत राशि अर्थात रू॰ 44.80 करोड़ (चौवालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र निवेश तथा संस्थान के निर्माण एवं संचालन हेतु इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सोसायटी भागलपुर के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यायादेश संख्या–394, दिनांक 12.02.2018 के द्वारा रू॰ 4.80 करोड़ (चार करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र, परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. राज्य सरकार ने राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भागलपुर की स्थापना हेतु स्वीकृत राशि रू॰ 44.80 करोड़ (चौवालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेष राशि रू॰ 40.00 करोड़ (चालीस करोड़ रूपये) मात्र, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सोसायटी भागलपुर को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त विमुक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–190 – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0101–भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर" के अधीन 54 01 निवेश विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021900101 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त॰) (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग होगें।

5. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सोसायटी भागलपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

Scanned by CamScanner

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो०–21/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो०–21/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो०–21/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भागलपुर/प्राचार्य, बी०सी०ई० भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो०–21/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो०–21/2017– 3466 /पटना, दिनांक– 20-12-018

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक/संयुक्त निदेशक (वि०)/उप निदेशक (यो)/ उप निदेशक (त०)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/18

सरकार के उप सचिव

20/12/18

Scanned by CamScanner